देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेफरेंस संख्या –2018/MMP/03

शुक्रवार, 21 दिसम्बर 2018

जे.डी.ए. का ज़ोन-7 प्रकरण-1

अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की जद में क्वींस रोड

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के चलते यूं तो जे.डी.ए. द्वारा शहर के जोनल प्लान तैयार कर अनुमोदित कर दिए है। परन्तु सबसे बड़ी समस्या इन स्वीकृत जोनल प्लानों के अनुसार शहर के सुनियोजित विकास की है। व्यापक निगरानी के अभाव में पूरे शहर में अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों, आवासीय भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधियों की अमर बेल अपना पैर पसार चुकी है।

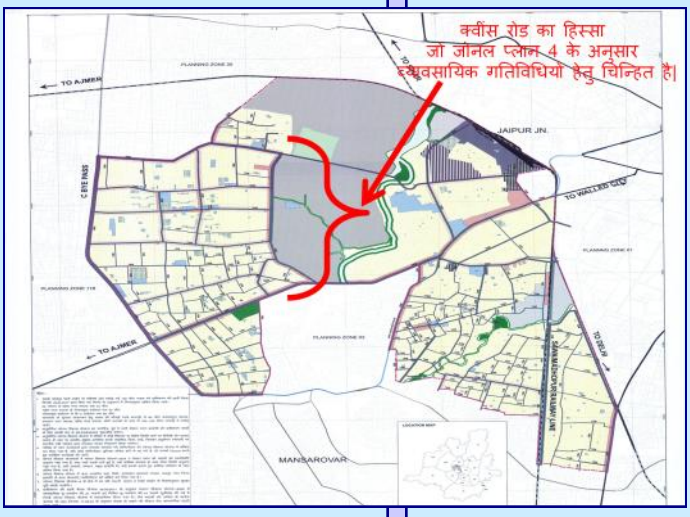

जयपुर शहर के पोश इलाकों में से एक वैशालीनगर जिसकी मुख्य सड़क क्वींस रोड है,यहाँ पर भी यही नजारा देखने को मिलता है। जहाँ पर पहले बड़ी बड़ी कोठियां हुआ करती थी अब वहां पर होटल,रेस्टोरेंट,ब्यूटी पार्लर,अस्पताल जिम,रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स,गाड़ियों के शोरूम आदि का व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इसका पता नहीं है,परन्तु जेबे गर्म कर देने के कारण जिम्मेदार अपनी आँखे मूंदे बैठे है।

कई जगहों पर तो भूखंडों को मिला कर बड़े-बड़े कोम्प्लेक्स बना लिए गए है। जो कि पूर्णतया अवैध है और जहाँ पर पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह पुथपाथों पर ही अतिक्रमण कर लिए गए है। इस कारण यह पूरी सड़क गाड़ियों की अवैध पार्किंग बन गयी है। जिससे आम जन का जीना बेहाल हो रखा है।

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठान

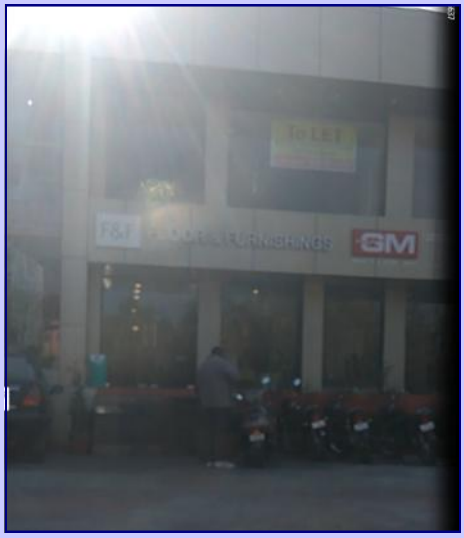

Temple of Healing

ug Electronics

CARS24
LLOYD

Roca

LECTRO PLAZA

WAR NAGAR-A
खेजड़ी
नर्सरी
क्वीन्स रोड़

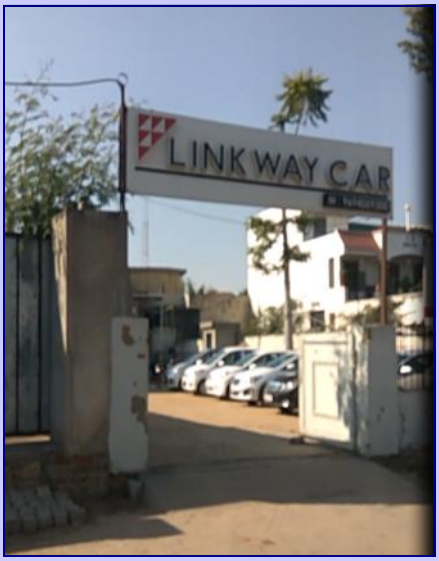

LINKWAY CAR

kitchen
creations
DULAR KITCHEN - & - INTERIORS
A COMPLETE INTERIOR SOLUTION

OODYEAR
HE SPARE MART
Continental
YOKOHAMA

Gulkandi Handicraft
& Home Decor

K.R. Plaza

EGGSPURE

अंग्रेजी शराब
बीयर

GRILL & GRAVYS

KOSMO
Mantra Matrix

thaa

apollo
ROLLING RUBBER

CURRY CORNER

MAGIC MILE
Traditional Food

VIVAN

SHUBHASHISH

SALE

GOLDEN DRAPE

THE WATCH FACTORY
SIDDHA

MULTI SPECIALITY HOSPITAL

SAMSUNG
LG
Haier
HITACHI
SONY
VOLTAS
Great Eastern

SANDS

O2 Spa

#BLUNT
Unisex Salon
#BLUNT

TATA MOTORS
interio

Sky Beach

Hotel Avana

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 में दिए गए आदेश जिनकी पालना नहीं हो रही|

- आदेश संख्या 3 के अनुसार मास्टर प्लान व जोन विकास प्लान में जिसके लिए चिन्हित है,उसकी हुबहु पालना कराई जाए|
- आदेश संख्या 15 के अनुसार बहुमंजिला भवनों के लिए सरकार व विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान में प्रावधान करे और जगह चिन्हित करें|
- आदेश संख्या 16 के अनुसार पूर्व विकसित कॉलोनियों में जहाँ पर सिमित स्थानीय निवासियों के अनुसार ही सुविधाएं विकसित की गयी थी और जहाँ बहुमंजिला भवन के निर्माण से लोगो के हित प्रभावित होते हो,वहां पर बहुमंजिला भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए|
- आदेश संख्या 19 के अनुसार सरकार और स्थानीय प्राधिकरण सार्वजनिक रास्तों,फुटपाथ पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाए|
- आदेश संख्या 23 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में निर्मित वाणिज्यिक भवन और गैर वाणिज्यिक भवनों में पार्किंग संबंधी नियमों की सख्ती से पालना की जाए|बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाए|पार्किंग को अन्य कार्य में उपयोग की अनुमति नहीं दी जाए|यदि भवनों में निर्धारित पार्किंग की जगह को अन्य उपयोग में लिया जा रहा हो तो तुरंत प्रभाव से पार्किंग क्षेत्र से अतिक्रमण हटा कर पार्किंग की सुविधा को बहाल किया जाए |आदेश की पालना नहीं करने पर भवन को सील कर दिया जाए और अवहेलना करने वालों को दंडित किया जाए|

यह है अनियमितताएं:-

1. बिना अनुमति आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियाँ|
2. व्यावसायिक भवनों में पार्किंग की जगहों का अन्य में उपयोग|
3. फुटपाथों पर अवैध निर्माण,पार्किंग|
4. अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट|
5. सेट बेक नियमों का उल्लंघन|
6. बिना पुनर्गठन भूखंडों को जोड़कर बिल्डिंगों का निर्माण|

जिम्मेदार अधिकारी!

1.जे.डी.ए.आयुक्त;श्री वैभव गालरिया

2. मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक;श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया

3.उपायुक्त ज़ोन-7;श्री मनोज कुमार

4. प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-7;श्री सुरेन्द्र सिंह